Section 90 : Liability of partners of firm to pay tax

Notwithstanding any contract to the contrary and any other law for the time being in force, where any firm is liable to pay any tax, interest or penalty under this Act, the firm and each of the partners of the firm shall, jointly and severally, be liable for such payment:

Provided that where any partner retires from the firm, he or the firm, shall intimate the date of retirement of the said partner to the Commissioner by a notice in that behalf in writing and such partner shall be liable to pay tax, interest or penalty due up to the date of his retirement whether determined or not, on that date:

Provided further that if no such intimation is given within one month from the date of retirement, the liability of such partner under the first proviso shall continue until the date on which such intimation is received by the Commissioner.

धारा 90 : फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व

तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा और किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है वहां फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथकतः दायी होगा :

परन्तु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है, वहां वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का, चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है।